समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

सरस्वती पूजा जिला संयुक्त आदेश, 2017

इस वर्ष प्राप्त सूचना के अनुसार मधेपुरा जिला में सरस्वती पूजा दिनांक-01-02-2017 को मनाया जाएगा। **सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बरकरार रखने हेतु विशेष चौकसी रखने के साथ-साथ यथेष्ठ एहतियाती एवं निरोधात्मक कार्रवाई की जाय।**

(1) सरस्वती पूजा, 2017 के अवसर पर पूजा पंडाल /विर्सजन जुलूस आदि हेतु अनुज्ञप्ति के व्यवस्था के संबंध में जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की होगी।

(2) आगामी सरस्वती पूजा के अवसर पर राज्य में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-671, दिनांक- 25.01.2017 द्वारा आवश्यक प्रशासनिक, चौकसी एवं निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निदेश प्राप्त हुआ है। उक्त निदेश के आलोक में निम्न कार्रवाई आवश्यक है :-

(क) साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर पूर्व में घटित साम्प्रदायिक तनाव के मद्देनजर उन क्षेत्रों में विशेष रूप से चौकसी बरती जाए। विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी साम्प्रदाय के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क एवं वार्त्ता की जाए तथा उनके साथ बैठक कर शान्ति समिति गठित कर विधि-व्यवस्था बनाये रखने में इनकी मदद ली जाए। असमाजिक तत्वों को चिन्हित करने हेतु प्रशासन को मदद करने में भी इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।

(ख) चिन्हित क्षेत्रों में ऐसे तत्वों की पहचान की जाए जिनका पूर्व में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का इतिहास हो। गोपनीय सूत्रों से यह भी पता किया जाए कि किस वर्ग विशेष द्वारा इन पर्वों के अवसर पर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे अवसरों पर असमाजिक तत्व, मौके का फायदा उठाकर अफवाह फैलाते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। ऐसे तत्वों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही अफवाहों पर विराम लगाने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसी अफवाहों के खंडन हेतु तत्काल यथोचित कार्रवाई अपेक्षित है। ये धाराएँ संज्ञेय एवं गैरजमानतीय है।

(ग) इस अवसर पर यदि कोई व्यक्ति धर्म /नस्ल /भाषा वगैरह के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश करते हुए पाये जाते हैं, किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के धर्म को अपमानित करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थल को नुकसान या अपवित्र करता है, या करने की कोशिश करता है, उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जान-बूझकर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई कार्य करता है तथा कानूनी रूप से आयोजित धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा में बाधा पहुंचाता है, तो उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 153 'ए' एवं 295, 295 'ए' एवं 296 के तहत कार्रवाई की जाए।

(घ) अनुमण्डल दण्डाधिकारी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं0प्र0सं0 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) धार्मिक जुलूसों /पंडालों के लिए दिये जाने वाली अनुज्ञप्ति में यह शर्त्त निश्चित रूप से रहे कि ऐसी कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूसों /पंडालों में नहीं होगा जिससे किसी साम्प्रदाय, जाति वर्ग अथवा समुदाय की भवनाओं को ठेस पहुँचे अथवा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो। इसके उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके

नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(च) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 1346 से 1353 में मेला, सभाएँ तथा जुलूस इत्यादि के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में पर्व विशेष, क्षेत्र विशेष एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(छ) आगामी सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा पंडालों की सुरक्षा के संदर्भ में गृह रक्षा वाहिनी द्वारा निर्गत सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाए ताकि जिला प्रशासन पण्डालों के संदर्भ में " Preventive Fire Management" में सहयोग कर सके।

(ज) बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 66 एवं बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 23 के अन्तर्गत नये धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति देने तथा उसके लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या-सी0/सी0आई0पॉल-3901/2012 /9028, पटना, दिनांक 08-10-2012 द्वारा दिए गए निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(झ) पर्यावरण की ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों से मुक्त करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 18-01-2016 एवं 18-02-2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या- सी0/न्याय-5620/2015-751, दिनांक 21-01-2016, 1999, दिनांक 01-03-2016 एवं 4626, दिनांक 12-05-2016 द्वारा दिए गए निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ञ) प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान किसी दुर्धटना/आपदा से निपटने हेतु त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक संचार उपकरणों को सदैव चालू अवस्था में रखा जाए। इसके लिए समाहरणालय, मधेपुरा स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा में Emergency Operation Centre (नियंत्रण कक्ष) स्थापित किया गया है,जिसका दूरभाष संख्या- 1077 (टॉल फ्री) एवं 06476-222220 एवं जिला मुख्यालय में उपलब्ध एस0डी0आर0एफ0 का मोबाईल नं0-9006726984 है। साथ ही राज्य एस0डी0आर0एफ0 नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 0612-2217302, मोबाईल नं0-9431446820 एवं 8084101239 है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी /कर्मी को आकस्मिक सूचना प्राप्त होने पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु भेजा जा सकता है। नियंत्रण कक्ष में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी विधि-व्यवस्था से संबंधित सूचनायें अंकित करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को तुरन्त देंगे। परिचारी प्रवर को आदेश दिया जाता है कि जिला नियंत्रण कक्ष में 2 सेक्शन सशस्त्र बल एवं 4 सेक्शन लाठी बल की प्रतिनियुक्ति करें, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के विधि व्यवस्था कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सके। सभी सुरक्षित दण्डाधिकारी निर्धारित समयानुसार नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा तत्क्षण उपयोग में लायी जा सके।

(ट) ऐसे अवसरों पर आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय-4 की धारा-28,30,31,33 एवं 34 में अंकित प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अपने स्तर से निर्गत करेंगे एवं संरचनात्मक एवं मानव संसाधन सुनिश्चित करेंगे।

(3) नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में **श्री मिथिलेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मधेपुरा** (मोबाईल नं0-9431818377) एवं प्रभारी पदाधिकारी के रूप में **श्री सुरेन्द्र प्रसाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (शिक्षा विभाग), मधेपुरा (मोबाईल नं0-9973616074)** की प्रतिनियुक्ति की जाती है। जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि जिला नियंत्रण कक्ष में एक पंजी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष में लिपिकों एवं अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति पालीवार कर लेगें और सुरक्षित दण्डाधिकारियों से भी पालीवार कार्य लेगें।

इसी प्रकार उदाकिशुनगंज अनुमंडल में एक नियंत्रण कक्ष उदाकिशुनगंज थाना में कार्यरत रहेगा, जिसकी दूरभाष संख्या-06479-220005 हैं। ये नियंत्रण कक्ष दिनांक 01-02-2017 के पूर्वाह्न से 02-02-2017 अपराह्न की तक कार्यरत रहेगी और इसके प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज रहेंगे। वे आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्रों में सरस्वती पूजा-2017 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने एवं संभावित किसी प्रकार की दुर्धटना की रोकथाम के लिए उपर्युक्त निरोधात्मक कार्रवाई का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साम्प्रदायिक धटनाओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने लिए प्रभावी कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के तथा निष्पक्षता के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) गृह विशेष विभाग से विधि-व्यवस्था संबंधी प्राप्त प्रतिवेदनों में मधेपुरा जिला को भी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील जिला के रूप में चिन्हित किया गया है।

(5) सरस्वती पूजा के अवसर पर चन्दा की वसूली करने के क्रम में कभी-कभी मारपीट एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाया करती है। अतएव सभी थानाध्यक्ष /प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी गश्ती के दौरान उस पर कड़ी निगरानी रखेंगे एवं रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

(6) पूजा पंडाल एवं सार्वजनिक स्थलों पर साम्प्रदायिक कार्टून /चित्र लगाये जाते हैं तथा भड़काउ अश्लील गाने का कैसेट बजाये जाते हैं। इस पर सख्ती से रोक लगाया जाय ताकि किसी प्रकार विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो।

अतएव पुलिस अधिनियम 5-185 की धारा 30 एवं 31 के उपबंधों के अधीन नियम 23 के अंतर्गत उक्त आयोजनों को विनियमित करने हेतु अनुमंडल दण्डाधिकारी /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा। अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु सभी आवेदक आयोजकों द्वारा संबंधित थानाओं में जमा करना होगा। उक्त आवेदन में निम्न सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा :-

(क) पूजा पंडाल आदि के स्थल की विस्तृत सूचना।

(ख) उक्त आयोजन स्थल यदि निजी जमीन पर किया जा रहा है तो जमीन मालिक का सहमति पत्र।

(ग) आयोजकों द्वारा समिति के पदधारक आदि 10 कार्यकर्त्ता का नाम, पता एवं मोबाईल नं0।

(ध) आयोजकों द्वारा पूजा पंडाल स्थल से जुलूस का मार्ग एवं विसर्जन हेतु चिन्हित घाट /स्थान का स्पष्ट उल्लेख।

(ङ) जुलूस निकालने का समय एवं विसर्जन का समय हेतु कार्य योजना।

(च) **आयोजकों द्वारा निम्न में उद्धृत शपथ पत्र देना होगा :-**

(i) आयोजकों द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति /पंडाल के स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा जुलूस के दौरान साथ रखी जायेगी तथा दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी द्वारा मांग की जाने पर प्रधान आयोजक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(ii) पंडाल निर्माण के संबंध में ठेसता प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल मधेपुरा या उनके द्वारा प्राधिकृत सहायक अभियंता /कनीय अभियंता से प्राप्त किया जायेगा।

(iii) पंडाल कार्यक्रम से यातायात बाधित नहीं किया जायेगा।